महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–2793/33–3–2019–11 रिट/2019

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2– निदेशक, पंचायती राज उत्तर प्रदेश।

3– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग– 3 लखनऊ दिनांक– 05 नवम्बर, 2019

विषयः– प्रदेश में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2019 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि प्रदेश के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं अन्य प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर में विगत दिनों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हुई है, जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट (पिटीशन) संख्या–13029/1985 एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.11.2019 (प्रति संलग्न) में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाये जाय तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाय। इसके लिए सरपंच, ग्राम पंचायत के साथ–साथ सम्बन्धित पुलिस क्षेत्र व स्थानीय प्रशासन जिसमें जिलाधिकारी और अन्य सभी अधीनस्थ संस्थाओं को कृषि अपशिष्ट जलाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। यदि इस प्रकार का कार्य होता है तो इसके लिए उच्च स्तर से निम्न स्तर तक का प्रशासनिक तंत्र और ग्राम पंचायत के सरपंच उत्तरदायी होंगें। ग्राम पंचायतों को भी इस हेतु ग्रामीणों को उचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोयला आधारित उद्योगों पर लगे प्रतिबन्ध का उल्लंघन पाये जाने की दशा में स्थानीय प्रशासन आदि उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाय। प्रदेश में कूड़ा/कृषि अपशिष्ट जलाने की घटनाओं पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाय तथा यदि कोई व्यक्ति/संस्था दोषी पाये जाते हैं तो उसके विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही की जाय। सम्बन्धित ग्राम पंचायत एकत्रित कूड़े/कृषि अपशिष्ट के निस्तारण हेतु त्वरित रूप से कार्ययोजना बनाकर

Amit Srl.

Scanned with CamScanner

कार्यवाही करें तथा इस हेतु ग्राम पंचायत के स्तर के कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाय।

वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही तथा ग्राम पंचायत/ स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में टेलीविजन, मीडिया, समाचार पत्र, रेडियो आदि माध्यमों से वृहद प्रचार–प्रसार किया जाय। उपरोक्त के अतिरिक्त वायु प्रदूषण के समस्त सम्भावित स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 04.11.2019 में दिए गए निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा अपने स्तर पर करते हुए उसकी सूचना निदेशक, पचांयती राज उ0प्र0 के ईमेल आई.डी.– up.panchayatiraj@gmail.com एवं उत्तर प्रदेश जल नियंत्रण बोर्ड के ईमेल आई.डी–ngtcell@uppcb.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

Amit Sri.

Scanned with CamScanner